संस्थान की वैधानिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु निविदा आमंत्रण

संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ सूचीबद्ध (चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान की वैधानिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा कराने हेतु पृथक-पृथक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। फर्म के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों तथा समान नियमों एवं शर्तों के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाएगा तथा पारिश्रमिक/शुल्क का भुगतान समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा।

इच्छुक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से अनुरोध है कि वे "वैधानिक लेखापरीक्षा हेतु निविदा" तथा "आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु निविदा" पृथक-पृथक प्रस्तुत करें। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2026 प्रातः 11:00 बजे तक है।

निविदा इस पते पर भेजे "महानिदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान कपूरथला, जालंधर-कपूरथला रोड, वडाला कलां, कपूरथला (पंजाब) 144601.

विस्तृत निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.nibe.res.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निविदा दस्तावेज

सक्षम प्राधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान के आंतरिक लेखापरीक्षा के व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं संपादन हेतु निविदाएँ आमंत्रित करता है। फर्म के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों तथा समान नियमों एवं शर्तों के पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का चयन द्वि-बोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि वे "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" शीर्षक से दो पृथक सीलबंद लिफाफों में अपनी-अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करें। इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे सीलबंद लिफाफे में बंद कर, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से "आंतरिक लेखापरीक्षक हेतु निविदाएँ" अंकित करें। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2026 प्रातः 11:00 बजे तक है। निविदा इस पते पर भेजे " महानिदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान कपूरथला, जालंधर-कपूरथला रोड, वडाला कलां, कपूरथला (पंजाब) 144601.

आवेदक फर्मों को सुझाव दिया जाता है कि वे कार्य के अनुमानित परिमाण का आकलन करने हेतु एसएसएस-एनआईबीई की पूर्व वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (जो वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं) का अवलोकन संस्थान की वेबसाइट http://nibe.res.in/downloads.php पर अवश्य करें।

अनुलग्नक-क

तकनीकी बोली

तकनीकी बोली पात्रता मानदंड नीचे निर्धारित किया गया है। इस संबंध में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है

क्रं.स.	पात्रता मापदंड	टिप्पणियाँ / संलग्नक
1.	फर्म की उम्र - कम से कम 10 साल और वैध फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फर्म का सेल्फ-सर्टिफाइड प्रोफ़ाइल।	
2.	चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल में नामांकन	
3.	सरकारी क्षेत्र / सरकारी संस्थानों आदि में ऑडिट कार्यों का अनुभव।	
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	मालिक, भागीदारों, कर्मचारियों का विवरण	
6.	टर्नओवर (पिछले तीन सालों का)	
7.	जालंधर / कपूरथला में कार्यालय	
8.	कुल कार्य अनुभव (वर्षों में)	
9.	आंतरिक लेखा-परीक्षण (इंटरनल ऑडिट) में कुल कार्य अनुभव (वर्षों में)	

अनुलग्नक-ख

वित्तीय बोली

वित्तीय बोली का प्रारूप नीचे निर्धारित किया गया है। वित्तीय बोली में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए फर्म द्वारा उद्धृत मूल्य बताया जाना चाहिए।

फर्म का नाम और पता	
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की वार्षिक फीस (कर को छोड़कर)	

नोट:-

- मैं/हम कार्य के दायरे तथा नियम एवं शर्तों को पढ़ चुके हैं और उनका पालन करेंगे।
- टैक्स सरकारी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- आंतरिक लेखापरीक्षा के कारण होने वाले यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य खर्च मान्य नहीं होंगे और किसी भी स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

…………..………………………..

हस्ताक्षर और मोहर

अनुलग्नक-ग

काम का दायरा (आंतरिक लेखापरीक्षक)

1. टीडीएस:- आयकर विभाग में हर तिमाही ई-टीडीएस रिटर्न फाइल करना। टीडीएस रिटर्न जमा करने में देरी की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान/ब्याज/जुर्माने की ज़िम्मेदारी आंतरिक लेखापरीक्षक की होगी।

2. जीएसटी:- संस्थान के जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआई, जीएसटी3, आदि) भरना। जीएसटी रिटर्न जमा करने में देरी की वजह से होने वाले किसी नुकसान/ब्याज/जुर्माने की ज़िम्मेदारी आंतरिक लेखापरीक्षक की होगी।

3. रजिस्टर: -स्टॉक (इस्तेमाल होने वाली और न होने वाली चीज़ें), संपत्ति, वेतन, सैलरी, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, टेलीफ़ोन और इंटरनेट रजिस्टर, क्वार्टर का किराया, बिजली का बिल आदि के रजिस्टर की जाँच करना।

4. बैंक बही मिलान - संस्थान के सभी बैंकों (प्रोजेक्ट बैंक सहित) के बही मिलान की जाँच करना और यह पक्का करना कि 26 एएस के अनुसार मिले ब्याज की एंट्री सही ढंग से की गई है।

5. यूसी, एसओई एवं आय विवरण:- एसएसएस-एनआईबीई एवं सभी परियोजनाओं के लिए वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण तथा आय विवरण का तैयारी, मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) एवं प्रमाणन, जो कि जीएफआर-12(A) प्रारूप के अनुसार होगा, ताकि इसे भारत सरकार, नई दिल्ली को आगे प्रस्तुत किया जा सके। स्वीकृति पत्रों के अनुसार सरकारी अनुदानों की जांच एवं सत्यापन भी करना होगा। यूसी और एसओई को अंतिम रूप देने में किसी भी प्रकार की देरी होने पर अधिकतम अनुबंध मूल्य के 2% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही ईएमडी/प्रदर्शन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। तथापि, यदि विक्रेता उचित कारण बताता है जो उसके नियंत्रण से बाहर थे, तो सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से जुर्माने की शर्त में ढील दी जा सकती है।

6. भौतिक सत्यापन:- अचल संपत्तियों, पुस्तकालय पुस्तकों तथा उपभोज्य एवं अनुपभोज्य भंडार का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन करना तथा उनका लेखा रिकॉर्ड से मिलान करना और यदि कोई अंतर हो तो उसकी रिपोर्ट देना। प्राप्त एवं उपयोग किए गए सरकारी अनुदानों (केंद्रीय/राज्य) की जांच एवं सत्यापन करना तथा उनका त्रैमासिक मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) करना। यह सुनिश्चित करना कि एएमसी एवं सेवा अनुबंधों के लिए भुगतान समझौते की शर्तों के अनुसार किया गया है, बकाया कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम राशि निर्धारित शर्तों/जीएफआर नियमों के अनुसार वसूल की जा रही है, तथा सभी कर्मचारियों को उनका वेतन उनकी शर्तों के अनुसार दिया जा रहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सभी स्थायी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सही तरीके से किया गया है।

7. जीएसटी/आयकर अनुपालन:- जीएसटी से संबंधित अपीलों का प्रारूप तैयार करना तथा संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करना, आयकर से संबंधित किसी भी लंबित मामले का निपटान करना, तथा सांविधिक लेखापरीक्षक, आयकर प्राधिकरणों एवं आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय/लेखा संबंधी मामलों में मार्गदर्शन, राय एवं प्रमाणन प्रदान करना तथा संस्थान के प्रबंधन/वित्त समिति/शासी परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे गए आंतरिक लेखापरीक्षा एवं वित्तीय मामलों से संबंधित अन्य कार्यों को संपन्न करना।

8. सीएजी एवं एमएनआरई ऑडिट:- सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) तथा एमएनआरई (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) एवं अन्य वैधानिक ऑडिटों में आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना तथा अनुपालन सुनिश्चित करना।

9. नियुक्ति:- यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार अधिकतम 3 वर्ष तक होगा, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 भी शामिल है।

10. शासी परिषद एवं वित्त समिति की बैठकों में, सक्षम प्राधिकारी आवश्यकता अनुसार उपस्थित होना। (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियमानुसार देय होगा)।

11. वित्तीय बोली में उद्धृत शुल्क का भुगतान ऑडिट पूर्ण होने पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

12. सक्षम अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अनुलग्नक-घ

नियम एवं शर्तें

1. सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध मिलने के 15 दिनों के भीतर अनुबंध की कुल लागत के 10% के बराबर सुरक्षा जमा (Security Deposit), जमा करना होगा, जो किसी भी वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान" के नाम पर, कपूरथला में देय होगा।

2. सीए फर्म का वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी पैनल में होना अनिवार्य है तथा उसे एसएसएस-एनआईबीई, कपूरथला में नियमित आधार पर कम से कम एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सहायक के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार तैनात करना होगा। कार्य आवश्यकतानुसार दौरे की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अनियमित दौरे या अयोग्य व्यक्ति को तैनात करने की स्थिति में आंतरिक लेखा परीक्षक को शर्तों का अनुपालन न करने पर दंड के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। दंड के रूप में अधिकतम अनुबंध मूल्य के 2% की दर से राशि वसूली जाएगी, साथ ही ईएमडी/प्रदर्शन सुरक्षा भी जब्त की जा सकती है। तथापि, यदि विक्रेता द्वारा अपने नियंत्रण से बाहर उचित कारण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से दंड प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

3. किसी भी स्थिति में कार्यालय की फाइलों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में संबंधित प्रभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही फाइलों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाया जा सकेगा।

4. आंतरिक लेखापरीक्षक को अपने अनुबंध की अवधि के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने/अपनी सहमति प्रस्तुत करने हेतु, भविष्य में जब भी सांविधिक/आयकर प्राधिकरणों तथा प्रबंधन द्वारा बुलाए जाने पर, उपस्थित होना होगा या उत्तर देना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका निपटारा एकमात्र मध्यस्थता (arbitration) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति महानिदेशक, एसएसएस-एनआईबीई द्वारा की जाएगी।

5. आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय बोली में उद्धृत शुल्क/प्रभार का भुगतान ऑडिट पूर्ण होने पर त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। सरकारी शुल्क से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंतरिक ऑडिट कार्य करने के लिए सीए फर्म द्वारा किसी भी प्रकार के अतिरिक्त व्यय जैसे यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अथवा अन्य किसी रूप में किए गए खर्च का किसी भी स्थिति में प्रतिपूर्ति/भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य किसी भी एकल स्वामित्व वाली फर्म को प्रदान नहीं किया जाएगा। यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होगी (परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक समान शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है तथा यह समय-समय पर सीएंडएजी द्वारा अनुमोदित दरों के अनुरूप होगी)। आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में सीए फर्म का चयन पूर्णतः, चयन समिति, एसएसएस-एनआईबीई या सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर

होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। समिति/महानिदेशक, एसएसएस-एनआईबीई के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। फर्म को संस्थान की प्रक्रियाओं, नीतियों, जीएफआर नियमों एवं विनियमों की पूर्ण जानकारी एवं समझ होना आवश्यक हा।

7. अगर अनुबंध में बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अनुबंध रद्द करने के साथ-साथ प्रदर्शन सुरक्षा भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

8. आंतरिक लेखा परीक्षा की न्यूनतम वार्षिक फीस/शुल्क ₹37,450/- (करों को छोड़कर) होगी।

9. टाई (दो या अधिक L-1) की स्थिति में, आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कार्य अनुभव में भी टाई की स्थिति है, तो पिछले तीन वर्षों के उच्चतम टर्नओवर के आधार पर कार्य प्रदान किया जाएगा।

10.फर्म को अपने लेखापरीक्षा के दौरान मिली किसी भी संवेदनशील जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखेगी और ऐसी जानकारी का इस्तेमाल ऑडिट के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं करेगी।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका समाधान मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल कपूरथला का होगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा हेतु निविदा दस्तावेज

सक्षम प्राधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखापरीक्षा के व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं संपादन हेतु निविदाएँ आमंत्रित करता है। फर्म के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों तथा समान नियमों एवं शर्तों के पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का चयन द्वि-बोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि वे "तकनीकी बोली" तथा "वित्तीय बोली" शीर्षक से दो पृथक सीलबंद लिफाफों में अपनी-अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करें। इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे सीलबंद लिफाफे में बंद कर, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से " वैधानिक लेखापरीक्षक हेतु निविदाएँ" अंकित करें। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2026 प्रातः 11:00 बजे तक है। निविदा इस पते पर भेजे " महानिदेशक, सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान कपूरथला,जालंधर-कपूरथला रोड, वडाला कलां, कपूरथला (पंजाब) 144601.

आवेदक फर्मों को सुझाव दिया जाता है कि वे कार्य के अनुमानित परिमाण का आकलन करने हेतु एसएसएस-एनआईबीई की पूर्व वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (जो वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं) का अवलोकन संस्थान की वेबसाइट http://nibe.res.in/downloads.php पर अवश्य करें।

<u>अनुलग्नक-ङ</u>

<u>तकनीकी बोली</u>

तकनीकी बोली पात्रता मानदंड नीचे निर्धारित किया गया है। इस संबंध में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है

क्रं.स.	पात्रता मानदंड	टिप्पणियाँ / संलग्नक
1.	फर्म की उम्र - कम से कम 10 साल और वैध फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फर्म का सेल्फ-सर्टिफाइड प्रोफ़ाइल।	
2.	चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल में नामांकन	
3.	सरकारी क्षेत्र / सरकारी संस्थानों आदि में ऑडिट कार्यों का अनुभव।	
4.	स्थायी खाता संख्या	
5.	मालिक, भागीदारों, कर्मचारियों का विवरण	
6.	टर्नओवर (पिछले तीन सालों का)	
7.	जालंधर / कपूरथला में कार्यालय	
8.	कुल कार्य अनुभव (वर्षों में)	
9.	आंतरिक लेखा-परीक्षण (इंटरनल ऑडिट) में कुल कार्य अनुभव (वर्षों में)	

<u>अनुलग्नक-च</u>

<u>वित्तीय बोली</u>

वित्तीय बोली का प्रारूप नीचे निर्धारित किया गया है। वित्तीय बोली में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए फर्म द्वारा उद्धृत मूल्य बताया जाना चाहिए।

फर्म का नाम और पता	
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंटरनल ऑडिट की सालाना फ़ीस। (टैक्स को छोड़कर)	

नोट:-

- मैं/हम कार्य के दायरे तथा नियम एवं शर्तों को पढ़ चुके हैं और उनका पालन करेंगे।
- टैक्स सरकारी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- आंतरिक लेखापरीक्षा के कारण होने वाले यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य खर्च मान्य नहीं होंगे और किसी भी स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

……………………………….

हस्ताक्षर और मोहर

<u>अनुलग्नक-छ</u>

कार्यक्षेत्र (वैधानिक लेखा परीक्षक)

1.लेखा पुस्तकों का लेखापरीक्षण और जांच जिसमें बैंक समाधान विवरण, खाता बही की जांच, स्टॉक रजिस्टर (उपभोज्य एवं अनुपभोज्य), संपत्ति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर और सभी वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। इनका मासिक/त्रैमासिक आधार पर परीक्षण एवं संकलन करना तथा संस्थान के वार्षिक लेखा पुस्तकों का प्रमाणन करते हुए ऑडिटेड बैलेंस शीट तक तैयार करना, ताकि उनकी अंकगणितीय एवं वैधानिक शुद्धता सुनिश्चित की जा सके तथा उनका प्रस्तुतीकरण नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए जारी एकरूप प्रारूप के अनुसार हो। यदि किसी प्रकार के सुधार/संशोधन की आवश्यकता हो, तो उसे मासिक/त्रैमासिक लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तुरंत किया जाना चाहिए।

2. बैलेंस शीट:- बैलेंस शीट की तैयारी के लिए, आय और व्यय, रसीद और भुगतान, एमएनआरई, भारत सरकार, नई दिल्ली को आगे प्रस्तुत करने के लिए जीएफआर नियमों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

3. आयकर रिटर्न:- संस्थान का आयकर विभाग को समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना।

4. सीएजी और एमएनआरई लेखापरीक्षा:- आवश्यकता पड़ने पर सीएजी, एमएनआरई और अन्य वैधानिक लेखा परीक्षा के अनुपालन में सहायता प्रदान करना।

5. यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होगी। काम संतोषजनक होने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 को मिलाकर अधिकतम 3 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है।

6. सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार गवर्निंग काउंसिल और वित्त समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए। (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तदनुसार भुगतान किया जाएगा)

7. वित्तीय बोली में बताई गई फीस का भुगतान लेखापरीक्षा पूरी होने पर सालाना आधार पर किया जाएगा।

8. सक्षम अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अनुलग्नक-ज

नियम एवं शर्तें

1. सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध मिलने के 15 दिनों के भीतर अनुबंध की कुल लागत के 10% के बराबर सुरक्षा जमा (Security Deposit), जमा करना होगा, जो किसी भी वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान" के नाम पर, कपूरथला में देय होगा।

2. सीए फर्म का वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी पैनल में होना अनिवार्य है तथा उसे एसएसएस-एनआईबीई, कपूरथला में नियमित आधार पर कम से कम एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सहायक के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार तैनात करना होगा। कार्य आवश्यकतानुसार दौरे की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अनियमित दौरे या अयोग्य व्यक्ति को तैनात करने की स्थिति में आंतरिक लेखा परीक्षक को शर्तों का अनुपालन न करने पर दंड के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। दंड के रूप में अधिकतम अनुबंध मूल्य के 2% की दर से राशि वसूली जाएगी, साथ ही ईएमडी/प्रदर्शन सुरक्षा भी जब्त की जा सकती है। तथापि, यदि विक्रेता द्वारा अपने नियंत्रण से बाहर उचित कारण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से दंड प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

3. किसी भी स्थिति में कार्यालय की फाइलों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में संबंधित प्रभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही फाइलों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाया जा सकेगा।

4. वैधानिक लेखापरीक्षक को अपने अनुबंध की अवधि के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने/अपनी सहमति प्रस्तुत करने हेतु, भविष्य में जब भी सांविधिक/आयकर प्राधिकरणों तथा प्रबंधन द्वारा बुलाए जाने पर, उपस्थित होना होगा या उत्तर देना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका निपटारा एकमात्र मध्यस्थता (arbitration) के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति महानिदेशक, एसएसएस-एनआईबीई द्वारा की जाएगी।

5. अगर अनुबंध में बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अनुबंध रद्द करने के साथ-साथ प्रदर्शन सुरक्षा भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

6. वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय बोली में बताई गई शुल्क/प्रभार का भुगतान लेखापरिक्षा पूरा होने पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा। लेखापरीक्षा पूरी होने पर सरकारी फीस का खर्च वापस किया जाएगा। सीए फर्म द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षा का काम करने के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च, जैसे यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या किसी अन्य तरह के खर्च, की भरपाई के दावे पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

7. लेखापरीक्षा का कार्य किसी स्वामित्व स्वामित्व फर्म को नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति वित्त वर्ष 2026-27 के लिए होगी (इसे परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हीं शर्तों और सी एंड एजी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है)। वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में सीए का चयन पूरी तरह से चयन समिति, एसएसएस-एनआईबीई या सक्षम अधिकारी पर निर्भर करेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। समिति/महानिदेशक, एसएसएस-एनआईबीई के पास किसी भी या सभी प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है।

8. वैधानिक लेखापरीक्षा की न्यूनतम वार्षिक फीस/शुल्क (वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए) 12,000 रुपये (करों को छोड़कर) होगा।

9. टाई (दो या अधिक एल1) की स्थिति में, आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कार्य अनुभव में भी टाई की स्थिति है, तो पिछले तीन वर्षों के उच्चतम टर्नओवर के आधार पर कार्य प्रदान किया जाएगा।

10. फर्म को अपने लेखापरीक्षा के दौरान मिली किसी भी संवेदनशील जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखेगी और ऐसी जानकारी का इस्तेमाल ऑडिट के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं करेगी।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में, उसका समाधान मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से किया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल कपूरथला का होगा।

नोट:- यदि हिंदी के किसी संस्करण की किसी व्याख्या में किसी प्रकार को कोई अंतर या विवाद उत्पनन होता है, तो अंग्रेजी संस्करण को ही प्रमाणिक एवं अंतिम रूप से मान्य माना जाएगा।

नाईब NIBE

Tender Notice for Statutory Audit and Internal Audit

The institute invites bids from Chartered Accountant Firm empanelled with the Comptroller & Auditor General of India for carrying 'Statutory Audit' and 'Internal Audit' of the institute for the FY 2026-27 (extendable based on performance up to a period of 3 years on the same terms and conditions and that in commensuration with rates approved by C&AG from time to time). The interested CA firms are requested to submit "Bid for Statutory Audit" and "Bid for Internal Audit" separately. The last date of receipt of quotation is 30th July 2026 at 11:00 A.M.

Complete tender shall be addressed to "Director General, Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Jalandhar-Kapurthala Road, Wadala Kalan, Kapurthala (Punjab) 144601". The detailed tender document is available on the institute website www.nibe.res.in

Tender document for Internal Audit for the F.Y 2026-27.

The Competent Authority, invites bids from Chartered Accountant Firms, empanelled with the Comptroller & Auditor General of India for the professional guidance for carrying Internal Audit of the institute for the FY 2026-27 (extendable based on performance up to a period of 3 years on the same terms and conditions and that in commensuration with rates approved by C&AG from time to time).

Selection will be done through two bid system i.e. Technical Bid and Financial Bid for the appointment of the CA firm. The interested firm is requested to submit two separate sealed envelopes titled "Technical Bid" and "Financial Bid". Both the envelopes should be enclosed in a third sealed envelope super-scribing 'Bids for Internal Auditors'. The last date of receipt of quotation is 30th July, 2026, at 11:00 A.M.

Complete tender shall be addressed to "Director General, Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Jalandhar-Kapurthala Road, Wadala Kalan, Kapurthala (Punjab) 144601". It is suggested that the applicants must check Audited reports (available in Annual Reports) of previous years of SSSNIBE available at http://nibe.res.in/downloads.php for assessment of estimated work.

ANNEXURE – A

TECHNICAL BID

The technical bid eligibility criterion is stipulated below. The documentary proof in this regard is to be submitted.

Sr. No.	Eligibility criterion	Remarks / Enclosures
1	Age of the firm – not lees than 10 years & Self Certified Profile of the firm with valid Firm Registration No.	
2	Empanelment with CA .	
3	Experience of Similar type of Audit Assignments in Govt. Sector / Govt. Institutes etc.	
4	Permanent Account Number	
5	Details of Proprietor, Partners, Staff	
6	Turnover (for last three years)	
7	Office in Jalandhar / Kapurthala	
8	Work Experience (Total in equivalent years)	
9	Work Experience in Internal Auditing (Total in equivalent years)	

ANNEXURE - B

FINANCIAL BID

The format for Financial Bid is stipulated below. The Financial Bid shall state the price quoted by the firm for internal audit for FY 2026-27

Name & Address of the Firm	
Annual Fee of Internal Audit for FY 2026-27. (excluding tax)	

Note:-

- **I/We have gone through the Scope of Work and Terms and Conditions and will adhere to that,**
- **Taxes applicable as per Govt Norms.**
- **TA / DA and Expenses incurred on account internal audit are not admissible and will not be entertained in any circumstances.**

Signature & Stamp

ANNEXURE – C

SCOPE OF WORK (INTERNAL AUDITOR)

1. TDS:-Filling of E-TDS Returns to Income Tax Department quarterly. Any damages/interest/penalty owing to delay in submission of TDS return would be the responsibility of the Internal Auditor.
2. GST :- Filling of GST returns (GSTI, GST 3, etc.) of the institute on monthly, quarterly. Any damages/interest/penalty owing to delay in submission of GST return would be the responsibility of the Internal Auditor.
3. Registers: - To check the registers of Stock (consumable and non-consumable), Assets, salary, Children Education allowance, Telephone and internet register, Quarter rent, Electrical charges etc.
4. Bank Reconcilations: - To check the reconciliation of all banks of the institute including project banks also and to ensure the entries of Interest received as per 26AS.
5. Uc, SoE & Income statement:- Preparation & reconciliation and Certification of Annual Utilization Certificate (UC) and Statement of Expenditure (SoE) and Statement of Income for SSSNIBE & all projects as per GFR-12(A) format for onward submission to Govt. of India, New Delhi. Checking and verification of Govt. Grants as per sanction letters, Any delay in finalization of UC and SOE would levy to penalty @ 2% of max. Contract value apart from forfeiting of EMD/performance security. The penalty clause may be relaxed subject to approval of Competent Authority upon furnishing of due justifications beyond control of the vendor.
6. Physical Verifications :-Carrying out the physical verification of fixed assets, Library books and consumables & Non consumables stocks at least once in a financial year and their comparison with the accounting records and reporting of the variations, if any, checking and verification of Government Grants (Central / State) received and utilized and their quarterly reconciliation, to ensure that payment for AMC and service contracts were made as per the Agreement terms and conditions, outstanding staff loans and advances are recovered as per the stipulated terms / GFR rules and the salary to all staff is being paid as per their terms and condition and to ensure the Correctness of pay fixations of all permanent staff.
7. Compliances of GST/Income Tax :- Drafting of appeals and appearances before relevant authorities of GST, any pending case relating to Income Tax and, Clarification / replies to the queries of Statutory Auditors, Income Tax authorities & as and when required by the competent authorities, guidance, opinion and certification in respect of financial / accounting matters as and when required and any other relevant work of internal audit / financial matters assigned by the Management / finance Committee / Governing Council of the Institute time to time.
8. CAG & MNRE Audit: - To provide assistance & compliance of CAG, MNRE & other statutory audits as and when required.
9. The appointment will be for F.Y. 2026-27. It will be extend on the satisfactory of work. Extension maximum 3 years including current FY 2026-27.
10. To attend Governing Council & Finance Committee meetings as and when required by competent authorities. (TA/DA will be paid accordingly).
11. Fees as quoted in financial bid will be paid on annually on completion of the audit.
12. Any Other work assigned by competent Authorities.

ANNEXURE - D

TERMS & CONDITIONS

1. The successful bidder will have to submit security deposit of 10% of the total cost of the contract within 15 days after the award of contract, in the shape of Demand Draft from any commercial / Nationalised bank in favour of "Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy" payable at Kapurthala.

2. The CA firm should be empanelled under CAG for current FY and will depute at least one qualified CA with assistant on regular basis at SSS-NIBE, Kapurthala at least once a week. The number of visits can be extended according to work requirement. In case of irregular visit(s) or deputing non-qualified person, the internal auditor would be liable for penalty for non-compliance of terms and conditions. The penalty shall be charged @ 2% of max. Contract value apart from forfeiting of EMD/performance security. The penalty clause may be relaxed subject to approval of Competent Authority upon furnishing of due justifications beyond control of the vendor.

3. Shifting of office files out of the office premises is not allowed in any case. However, in case of any urgency, the files can be taken with the written consent of the concerned Head of Division/Office. The written request has to be made by the internal auditor.

4. Internal Auditor to present / given his consent for any question raised for the audit period of his contract as and when asked by the statutory / income tax authorities and management in future or as and when required. In case of any dispute, it will be referred to sole arbitration of the person appointed by the Director General, SSS-NIBE.

5. Fee / Charges as quoted in Financial Bid by the Internal Auditor will be paid on quarterly basis on completion of the audit. Expenditure on account of Govt. Fees (actual) will be reimbursed. Any extra expenses claimed viz. TA/DA or in any form to carry out internal audit work by the CA firm will not be entertained for re-imbursement in any case.

6. The work of Internal Audit will not be awarded to a proprietary ownership firm. The appointment will be for FY 2026-27 (extendable based on performance upto a period of 3 years on the same terms and conditions and that in commensuration with rates approved by C&AG from time to time)). The selection of CA Firm as Internal Auditor will be at the sole discretion of the Selection Committee, SSS-NIBE, or competent authority will be final. Committee / Director General, SSS-NIBE reserves all rights to reject any or all of the offers received, without assigning any reason.The firm shall be required to be well conversant with the procedure, policies, GFR rules and regulations of the institute.

7. In case of breach of any terms and conditions stipulated in the contract, the performance security shall be forfeited by the Government apart from annulment of the Contract.

8. The Minimum Annual Fee/ Charges of internal audit will be Rs 37450/- (excluding taxes).

9. In case of tie (two or more L1), the highest work experience in terms of internal auditing will be considered for award work. In case of tie for work experience also, the highest Turnover for last three years will be considered.

10. The firm shall maintain strict confidentiality regarding any sensitive information obtained in course of his audit and not use such information for any purpose other than audit.

11. In case of any dispute, the resolution of the same should be through Arbitration and the Jurisdiction will be kapurthala only.

Tender document for Statutory Audit for the F.Y 2026-27.

The Competent Authority, invites bids from Chartered Accountant Firms, empanelled with the Comptroller & Auditor General of India for the professional guidance for carrying Statutory Audit of the institute for the FY 2026-27 (extendable based on performance upto a period of 3 years on the same terms and conditions and that in commensuration with rates approved by C&AG from time to time).

Selection will be done through two bid system i.e. Technical Bid and Financial Bid for the appointment of the CA firm. The interested firm is requested to submit two separate sealed envelopes titled "Technical Bid" and "Financial Bid". Both the envelopes should be enclosed in a third sealed envelope super-scribing 'Bids for Statutory Auditors'. The last date of receipt of quotation is 30th July, 2026 at 11:00 A.M.

Complete tender shall be addressed to "Director General, Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Jalandhar-Kapurthala Road, Wadala Kalan, Kapurthala (Punjab) 144601". It is suggested that the applicants must check Audited reports (available in Annual Reports) of previous years available at http://nibe.res.in/downloads.php for assessment of estimated work.

ANNEXURE - A

TECHNICAL BID

The technical bid eligibility criterion is stipulated below. The documentary proof in this regard is to be submitted.

Sr. No.	Eligibility criterion	Remarks / Enclosures
1	Age of the firm – not le s than 10 years & Self Certified Profile of the firm with valid Firm Registration No.	
2	Empanelment with CA.	
3	Experience of Similar type of Audit Assignments in Govt. Sector / Govt. Institutes etc.	
4	Permanent Account Number	
5	Details of Proprietor, Partners, Staff	
6	Turnover (for last three years)	
7	Office in Jalandhar / Kapurthala	
8	Work Experience (Total in equivalent years)	
9	Work Experience in Statutory Auditing (Total in equivalent years)	

ANNEXURE - B

FINANCIAL BID

The format for Financial Bid is stipulated below. The Financial Bid shall state the price quoted by the firm for Statutory Audit for FY 2026-27.

Name & Address of the Firm	
Annual Fee of Statutory Audit for FY 2026-27. (excluding tax)	

Note:-

1. **I/We have gone through the Scope of Work and Terms and Conditions and will adhere to that,**
2. **Taxes, applicable as per Govt. Norms.**
3. **TA / DA and Expenses incurred on account Statutory Audit are not admissible and will not be entertained in any circumstances.**

Signature & Stamp

ANNEXURE - C

SCOPE OF WORK (STATUTORY AUDITOR)

1. Audit and scrutiny of accounting books including, Bank Reconciliation statements, ledger scrutiny, stock registers (consumable and non-consumable), Assets register, salary register and all the financial transactions monthly / quarterly basis and compilations, certification of Annual Books of Accounts up to audited balance sheet of the Institute (SSS-NIBE) to ensure their arithmetical and statutory accuracy as well as its presentation according to the Uniform Format for Autonomous bodies issued by Comptroller General of Accounts and if any rectifications/modifications required that to be done immediately during monthly / quarterly audit period.
2. Balance sheet:-To Preparation of Balance sheet, Income & Expenditure, Receipt & Payments, Independent Audit report as per GFR Rules for onwards submission to MNRE, Govt.of India, New Delhi.
3. Income Tax Return: - Filing of Income Tax Return of the institute to Income Tax Department on time.
4. CAG & MNRE Audit: - To provide assistance & compliance of CAG, MNRE & other statutory audits as and when required.
5. The appointment will be for F.Y. 2026-27. It will be extend on the satisfactory of work. Maximum 3 years extension including current FY 2026-27.
6. To attend Governing Council & Finance Committee meetings as and when required by competent authorities. (TA/DA will be paid accordingly).
7. Fees as quoted in financial bid will be paid on annually on completion of the audit.
8. Any Other work assigned by competent Authorities.

ANNEXURE - D

TERMS & CONDITIONS

1. The successful bidder will have to submit security deposit of 10% of the total cost of the contract within 15 days after the award of contract, in the shape of Demand Draft from any commercial / nationalized bank in favour of "Sardar Swaran Singh National Institute of Bio Energy" payable at kapurthala.

2. The CA firm should be empanelled under CAG for current FY and will depute at least one qualified CA with assistant on regular basis at SSS-NIBE, Kapurthala at least once in a month. The number of visits can be extended according to work requirement. In case of irregular visit(s) or deputing non-qualified person, the internal auditor would be liable for penalty for non-compliance of terms and conditions. The penalty shall be charged @ 2% of max. Contract value apart from forfeiting of EMD/performance security. The penalty clause may be relaxed subject to approval of Competent Authority upon furnishing of due justifications beyond control of the vendor.

3. Shifting of office files out of the office premises is not allowed in any case. However, in case of any urgency, the files can be taken with the written consent of the concerned Head of Division/Office.

4. Statutory Auditor to present / given his consent for any question raised for the audit period of his contract as and when asked by the Income Tax Authorities and Management in future or as and when required. In case of any dispute, it will be referred to sole arbitration of the person appointed by the Director General, SSS-NIBE.

5. In case of breach of any terms and conditions stipulated in the contract, the performance security shall be forfeited by the Government apart from annulment of the Contract

6. Fee / Charges as quoted in Financial Bid by the Statutory Auditor will be paid on annually on completion of the audit. Expenditure on account of Govt. Fees (actual) will be reimbursed. Any extra expenses claimed viz. TA/DA or in any form to carry out Statutory Audit work by the CA firm will not be entertained for re-imbursement in any case.

7. The work of Statutory Audit will not be awarded to a proprietary ownership firm. The appointment will be FY 2026-27 (extendable based on performance upto a period of 3 years on the same terms and conditions and that in commensuration with rates approved by C&AG from time to time). The selection of CA Firm as Statutory Auditor will be at the

sole discretion of the Selection Committee, SSS-NIBE, or competent authority will be final. Committee / Director General, SSS-NIBE reserves all rights to reject any or all of the offers received, without assigning any reason.

8. The Minimum Annual Fee/ Charges of statutory audit (for FY 2026-27) will be Rs 12,000/- (excluding taxes).

9. In case of tie (two or more L1), the highest work experience in terms of statutory auditing will be considered for award work. In case of tie for work experience also, the highest Turnover for last three years will be considered.

10. The firm shall maintain strict confidentiality regarding any sensitive information obtained in course of his audit and not use such information for any purpose other than audit.

11. In case of any dispute, the resolution of the same should be through Arbitration proceeding and the Jurisdiction will be kapurthala only.

Telephone: +91 1822 507406
Email: sss.nibe@nibe.res.in
12 कि मी स्टोन, जालंधर-कपूरथला रोड, वडाला कलां, कपूरथला, पंजाब 144 603 भारत
12 KM Stone, Jalandhar-Kapurthala Road, Wadala Kalan, Kapurthala, Punjab 144 603 India
Website: www.nibe.res.in